//सरयू राय
सभापति
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
झारखण्ड विधान सभा

आवास :
• एफ. टाईप, आवास सं०-1, PWD (IB), ए.जी. मोड़, डोरण्डा, राँची - 834002
• एल 4/1, कदानी रोड, बारीडीह, जमशेदपुर - 831017
दूरभाष : 0651-2480045, 0657-2249255
मोबाईल नं० : 9431114466
ई-मेल : saryuroyoffice@gmail.com
वेबसाईट : www.saryuroy.in

पत्रांक : झा.का.(सु.मं.)02/171/24 दिनांक : 31-07-24

माननीय मुख्यमंत्री जी,

आपकी सरकार का स्वास्थ्य विभाग ने एक नया घोटाला करने का निर्णय ले लिया है। यह घोटाला विभाग के महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए मानव बल आपूर्ति करने वाली निजी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के चयन से संबंधित है। इस घोटाला का प्रतिकुल प्रभाव एजेंसियों द्वारा चयनित अल्प वेतनभोगी कर्मियों पर पड़ेगा। इस निर्णय से आपकी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सीधा जुड़े हुए हैं। अनुरोध है कि इसमें स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका की जाँच कराइये और घोटाला रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करिये।

यह घोटाला स्वास्थ्य विभाग में स्थायी स्वरूप वाले कार्यों को करने के लिए अस्थायी रूप से चयनित मानव बल से संबंधित है जिनका चयन आउटसोर्सिंग एजेंसियाँ करती हैं और स्वास्थ्य विभाग को विभिन ज़िलों में उपलब्ध कराती हैं। विभाग उनके पारिश्रमिक का भुगतान आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से करता है। इन आउटसोर्सिंग कंपनियों का चयन करने की प्रक्रिया में स्वास्थ्य मंत्री के अनुचित हस्तक्षेप ने इस घोटाला का जन्म दिया है जिसकी तथ्यात्मक सूचना संक्षेप में आपको दे रहा हूँ।

संप्रति मानव बल आपूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्व में चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसियाँ ही काम कर रही हैं। वर्ष 2023 में विभाग की ओर से इस प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए "झारखण्ड मेडिकल एंड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (JMHIDPCL)" ने निविदा प्रकाशित किया। इसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने संकल्प निकाला। संकल्प संख्या–370ए(5), दिनांक–11.05.2022 स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया। तदनुसार विभाग की ओर से JMHIDPCL द्वारा निविदा प्रकाशित की गई। निविदा शर्तों के आधार पर विविध कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन हुआ। इन चयनित एजेंसियों के साथ सरकार को एकरारनामा करना था ताकि ये काम शुरू करें। एक साल तक इन चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसियों से मोल–भाव चलता रहा। परन्तु एक साल का समय बीत जाने के बाद भी आज तक यह एकरारनामा नहीं हुआ। जबकि चयन के निर्णय पर विभागीय मंत्री की मुहर लगी थी। चयन मंत्रिपरिषद के संकल्प के आधार पर हुआ था। बात नहीं बनी तो इन इम्पैनेल्ड एजेंसियों का इम्पैनेलमेट रद्द करने की साज़िश मंत्री स्तर से आरम्भ हुई।

कतिपय इम्पैनेल्ड एजेंसियों को बाध्य किया गया कि वे अपने ही चयन की प्रक्रिया के विरूद्ध मंत्री जी से शिकायत करें। इनकी शिकायत के आधार पर एक जाँच समिति बनी। जाँच समिति ने चयन प्रक्रिया में सतही दोष ढूँढे। इसके आधार पर मंत्री जी ने चयनित पैनल को रद्द कर दिया और नए सिरे से एजेंसियों का चयन करने के लिए अस्पतालों के अधीक्षकों और ज़िलों के सिविल सर्जनों को JMHIDPCL के प्रबन्ध निदेशक ने निर्देश दिया कि वे फ़िलहाल काम कर

रहे आउटसोर्सिंग एजेंसियों को कार्य विस्तार नहीं दें और अपने स्तर से आउटसोर्सिंग एजेंसियों का एक माह के भीतर चयन करें। यह आदेश जारी हो गया है। आदेश संख्या JMC/Pror-22/OA/05/1331, दिनांक–25.07.2024 की प्रति संलग्न है। इस आदेश में मंत्री जी द्वारा इस संबंध मे किये गये आदेश का स्पष्ट उल्लेख है।यह विभागीय पत्र संख्या–21/JMHIDPCL-07-02/2023, दिनांक–16.07.2024 संलग्न है।

इस बारे में मंत्री स्तर पर घोटाला को अंजाम देने वाली अनियमितताएँ निम्नवत हैं :–

1. पूर्व में अस्पतालों के अधीक्षकों और ज़िलों के सिविल सर्जनों द्वारा चयनित एजेंसियों को कार्यरत रखने की साज़िश की गई।
2. इस साज़िश के तहत राज्य मंत्रिपरिषद के संकल्प के अनुसार स्वयं मंत्री की अनुशंसा से एक वर्ष पहले दिनांक 02.06.2023 को इम्पैनल की गईं चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसियों के साथ एक साल तक एकरारनामा नहीं किया और जानबूझकर इन्हें अकार्यरत रखा। इन्हें ज़िलों का आवंटन नहीं किया गया ताकि ज़िलों में पूर्व से चल रही दोषपूर्ण व्यवस्था चालू रहे।
3. मंत्रिपरिषद के संकल्प संख्या–370ए(5), दिनांक–11.05.2022 के आधार पर JMHIDPCL द्वारा इम्पैनेल की गईं एजेंसियों की चयन प्रक्रिया को दूषित करार देने की साज़िश मंत्री स्तर से की गई, ताकि इन्हें काम नहीं करने दिया जाए।
4. तदुपरांत मंत्री के निर्देश से प्रबन्ध निदेशक, JMHIDPCL द्वारा अस्पतालों के अधीक्षकों और जिला के सिविल सर्जनों को पत्र संख्या–JMC/Pror-22/OA/05/1331, दिनांक–25.07.2024 के द्वारा निर्देश दिया गया कि वे अपने स्तर पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया एक माह के भीतर पूरा करें।
5. इस प्रक्रिया के अनुसार एजेंसियों का चयन होने तक अस्पताल अधीक्षक और सिविल सर्जन पुरानी एजेंसियों को कार्य करने दें और इनकी सेवा अवधि का विस्तार नहीं करें।
6. स्वास्थ्य विभाग में चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर दबाव डालकर उनका भयादोहन करते रहने और विधानसभा चुनाव 2024 तक इसे लटकाकर रखने की विभागीय मंत्री की साज़िश का यह जीता–जागता नमूना है। वस्तुतः यह एक अमानवीय घोटाला है।
7. स्वास्थ्य मंत्री भलीभाँति जानते हैं कि जिला एवं अस्पताल के स्तर पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन विधानसभा चुनाव 2024 तक संभव नहीं है। फिर भी इस आशय का आदेश निकालना उनकी धृष्टता और भ्रष्ट मनोवृत्ति का परिचायक है। आपको सूचना होगी कि इस माह के अंत तक विधानसभा चुना–2024 की घोषणा संभावित है।

8. आउटसोर्सिंग से चयनित इस अल्प वेतन भोगी समूह पर अप्रत्यक्ष वित्तीय बोझ डालने और इससे संभावित अवैध कमाई का लाभ विधानसभा चुनाव में करने की इस साज़िश का विस्तार देखादेखी अन्य विभागों पर भी हो रहा है। इसके पहले से ही अल्प वेतन पाने वाले समूहों के आर्थिक शोषण का सिलसिला शुरू हो जाएगा।

उपर्युक्त विवरण के आलोक में निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस घोटाला को होने से रोकें, पूर्व से स्वास्थ्य विभाग में चल रही आउटसोर्सिंग की दूषित प्रक्रिया से प्रभावित अल्प वेतनभोगी समूहों का शोषण बंद कराएँ और इस घोटाला प्रक्रिया का मोहरा बन रही चुनिन्दा आउटसोर्सिंग कंपनियों पर लगाम लगाएँ और सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य विभाग में विधानसभा चुनाव पूर्व चल रही इस घोटाला संस्कृति से अन्य विभागों को अलग रखें और यदि कतिपय अन्य सरकारी विभागों ने भी इस दूषित कार्य–संस्कृति से प्रभावित होकर स्वास्थ्य विभाग की घोटाला राह पकड़ लिया हो तो उनके विरूद्ध भी कार्रवाई संचालित करें।

सधन्यवाद,

भवदीय

सरयू

सरयू राय

सेवा में,
श्री हेमंत सोरेन,
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार।